न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, मधेपुरा

सत्र विचारण सं0—76/2024

(व्युत्पन्न श्रीनगर थाना कांड संख्या— 02/2024)

उपस्थित— सतीश कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, मधेपुरा
(निर्णय की तिथि— 24/03/2026)

—1—

FORM A

न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, मधेपुरा
S.Tr. No.- 76 of 2024
C.I.S.No.-76/2024
(व्युत्पन्न श्रीनगर थाना कांड संख्या— 02/2024)

उपस्थित— सतीश कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, मधेपुरा।

(निर्णय की तिथि— 24/03/2026)

FORM A

सूचक	राज्य द्वारा सूचक — रमेश राम, पे0—स्व0 मुन्द्रिका राम थानाध्यक्ष श्रीनगर, जिला—मधेपुरा।
अभियोजन की ओर से	श्री शशिधर प्रसाद सिंह, अजय कुमार एवं गिरीशचंद्र गिरीन्द्र, विद्वान अपर लोक अभियोजक
अभियुक्त	बनाम् 1. पांचु दास उर्फ पंचानंद दास, पे0—गणेशी दास 2. सरोज यादव, पे0—महानंद यादव 3. सत्यन कुमार, पे0—अखिलेश कुमार यादव 4. शम्भू साह उर्फ संतोष साह, पे0—शिव सुंदर साह
बचाव पक्ष की ओर से	श्री अवधेश कुमार राय, विद्वान अधिवक्ता

Satish Kumar
24.03.26

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय मधेपुरा

FORM B

अपराध की तिथि—	दिनांक— 06/01/2021
प्राथमिकी की तिथि—	दिनांक— 06/01/2021
अन्तिम प्रपत्र की तिथि—	दिनांक— 19/05/2021, 01/12/2021, 01/04/2022, एवं 18/09/2022
अपराध का संज्ञान की तिथि—	दिनांक— 13/12/2021, 15/12/2021 एवं 04.01.2024
आरोप गठन की तिथि—	दिनांक— 09/02/2024
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	दिनांक— 30/10/2024
निर्णय पर प्रस्तुत होने की तिथि—	दिनांक— 12/03/2026
निर्णय की तिथि—	दिनांक— 24/03/2026
सजा की तिथि (यदि कोई हो)	----------

न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, मधेपुरा

सत्र विचारण सं0—76/2024
(व्युत्पन्न श्रीनगर थाना कांड संख्या— 02/2024)

उपस्थित— सतीश कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, मधेपुरा
(निर्णय की तिथिः— 24/03/2026)

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त का कम संख्या	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर छोड़ने की तिथि	आरोपित धारा	प्रकृति दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	सजा
01.	पंचू दास उर्फ पंचानंद दास			धारा—147, 148, 149, 323, 307, 332, 353, 504 भा0द0वि0 एंव धारा—27 आर्म्स एक्ट	दोषमुक्ति	....
02.	सरोज यादव			धारा—147, 148, 149, 323, 307, 332, 353, 504 भा0द0वि0 एंव धारा—27 आर्म्स एक्ट	दोषमुक्ति	....
03.	सत्यम कुमार			धारा—147, 148, 149, 323, 307, 332, 353, 504 भा0द0वि0 एंव धारा—27 आर्म्स एक्ट	दोषमुक्ति	....
04.	शम्मू साह उर्फ संतोष साह			धारा—147, 148, 149, 323, 307, 332, 353, 504 भा0द0वि0 एंव धारा—27 आर्म्स एक्ट	दोषमुक्ति	....

अभियोजन साक्ष्य

कम संख्या	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
PW-1	उमेश मोदी	अशासकीय
PW-2	उर्मिला देवी	अशासकीय
PW-3	मुन्नी देवी	अशासकीय
PW-4	रमेश राम	अनुसंधानकर्त्ता
PW-5	मोती लाल सिंह	शासकीय (छापामारी दल के सदस्य)

Satish Kumar
24.03.26

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय मधेपुरा

बचाव साक्ष्य

कम संख्या	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
	बचाव पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।	

अभियोजन पक्ष/बचाव पक्ष/न्यायालय द्वारा कराये गये प्रदर्श का विवरण
अभियोजन

Sr. No,	Exhibit Number	Description
01.	Exhibit-P-1/P.W-4	जप्ती सूची
02.	Exhibit-P-2/P.W.-4	स्वलिखित बयान
03.	Exhibit-P-3/P.W.-4	पृष्ठांकन

न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, मधेपुरा

सत्र विचारण सं0—76 / 2024
(व्युत्पन्न श्रीनगर थाना कांड संख्या— 02 / 2024)

उपस्थित— सतीश कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, मधेपुरा
(निर्णय की तिथिः— 24 / 03 / 2026)

निर्णय

01. प्रस्तुत सत्र वाद श्रीनगर (मधेपुरा) थाना कांड सं0—02 / 2021 से व्युत्पन्न हुआ है जो तत्कालीन श्रीनगर थानाध्यक्ष पु0अ0नि0 रमेश राम के लिखित आवेदन पर 1. पंचू दास उर्फ पंचानंद दास 2. नंदन दास 3. जितेन्द्र दास 4. संतोष शर्मा 5. सत्यनारायण शर्मा 6. गणेश शर्मा 7. शम्भू साह 8. पंचानन दास की विधवा भाभी व अखिलेश दास की पत्नी 9. नंदन दास की पत्नी एवं अन्य महिलाओं के विरूद्व धारा—147, 148, 149, 323, 307, 332, 333, 353, 504 भा0द0वि0 एवं धारा—27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दर्ज किया गया है।

02. **अभियोजन वाद**— अभियोजन वाद, कांड के सूचक पु0अ0नि0 रमेश राम के लिखित आवेदन पर आधारित है जिसमें सूचक ने अभियोग लगाया है कि दिनांक 16.01.2021 को सूचक को मोबाइल पर सूचना मिली कि लक्ष्मीपुर भगवती चांप रोड में पंचू दास उर्फ पंचानन दास एवं अन्य के द्वारा एक व्यक्ति को गोली मार दिया गया है, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी है जिसे इलाज हेतु पूर्णिया भेजा गया है। सूचक के आवेदन के अनुसार इस सूचना से वरीय पदाधिकारी को सूचित किया गया, दल के पदाधिकारी स0अ0नि0 विनोद प्रसाद एवं स0अ0नि0 उपेन्द्र सिंह को घटनास्थल पर पहुंचने का निर्देश देते हुए मधेपुरा से घटनास्थल के लिए प्रस्थान किया। थानाध्यक्ष मुरलीगंज, कुमारखंड के साथ घटनास्थल लक्ष्मीपुर भगवती चांप रोड में पहुंचकर वहाँ घटनास्थल का निरीक्षण किया एवं उपस्थित लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया जा रहा था इसी बीच 18:30 बजे घटनास्थल से करीब 500—700 मीटर उत्तर खेदन बाबा मंदिर के तरफ से गोली फायर करने की आवाज आई। सूचक के अनुसार पुलिस निरीक्षक सदर, मधेपुरा अंचल, थानाध्यक्ष मुरलीगंज एवं कुमारखंड के साथ सूचक भी अपने साथ सहयोगी स0अ0नि0 विनोद प्रसाद, स0अ0नि0 उपेन्द्र सिंह, सशस्त्र बल के सिपाही 343 मोतीलाल सिंह, गृहरक्षक 350842 विश्वासनाथ यादव, 350304 खेलानंद ठाकुर एवं गृहरक्षक 1545 जनक यादव के साथ गोली फायर करने की दिशा के तरफ पीछा करते हुए खेदन बाबा के मंदिर के पास पहुंचा तो फायर करने वाले सभी व्यक्ति पश्चिम दिशा की तरफ भाग रहे थे। टार्च की रौशनी में देखा कि फायर करने वाले व्यक्ति (1) पंचू दास उर्फ पंचानंद दास (2) नंदन दास (3) जितेन्द्र दास (4) संतोष शर्मा (5) सत्यनारायण शर्मा (6) गणेशी दास (7) शंभू साह उर्फ संतोष साह एवं अन्य 4—5 अज्ञात लोगो को पश्चिम के तरफ भागते देखा गया जिसका अन्य पुलिसकर्मी पीछा किये तथा कुछ सहयोगी कर्मी के साथ इस घटनाकम में उपस्थित दो स्वतंत्र साक्षियों कमशः (1) मो0 अबुल (2) मो0 समीम के समक्ष फायर करने के स्थान पर टॉर्च की रौशनी में देखा गया तो दो 315 बोड़ का गोली का खोखा एवं 6 (छः)

Satish Kumar
24.03.26

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय मधेपुरा

अदद 7.65 की गोली का खोखा जमीन पर गिरा हुआ बरामद हुआ जिसे उपरोक्त दोनो स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष विधिवत जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया। तत्पश्चात् भाग रहे अपराधियों का पीछा कर रहे अन्य सहयोगी पुलिसकर्मियों के साथ पश्चिम दिशा के तरफ पीछा करते हुए पंचू दास उर्फ पंचानंद दास के घर पहुंचा एवं उसके घर में विधिवत छापेमारी की ई तो सभी अपराधी घर से फरार थे परंतु उसके घर की महिलाएँ (8) अखलेश दास की पत्नी, पंचानंद दास की विधवा भाभी नाम नहीं मालूम (9) नंदन दास की पत्नी नाम नामालूम एवं अन्य महिलाएं पुलिस कर्मियों को गाली–गलौज करते हुए छापामारी से विरोध किया तथा सरकारी कार्य में बाधा व्यवधान पैदा किया। पीछा कर रहे सभी अपराधी अंधेरा एवं बाँसवाड़ी का फायदा उठाकर तथा पुलिसकर्मीयों पर जानलेवा फायरिंग करते हुए भागने मे सफल रहे।

03. अनुसंधानोपरांत कांड के अनुसंधानकर्त्ता ने सर्वप्रथम अन्य अभियुक्तों के विरूद्व पूरक अनुसंधान जारी रखते हुए अभियुक्त पंचू दास उर्फ पंचानंद दास के विरूद्व धारा––147, 148, 149, 323, 307, 332, 333, 353, 504 भा0द0वि0 एवं धारा–27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत आरोप पत्र सं0–53 / 2021 दिनांक 19.05.2021 समर्पित किया गया।

04. पुनः अभियुक्त (1) शंभू साह उर्फ संतोष साह (2) संतोष शर्मा व (3) सरोज यादव एवं अन्य के विरूद्व पूरक अनुसंधान जारी रखते हुए अभियुक्त सत्य कुमार के विरूद्व धारा–147, 148, 149, 323, 307, 332, 333, 353, 504 भा0द0वि0 एवं धारा–27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत आरोप पत्र सं0–143 / 2021 दिनांक 01.12.2021 समर्पित किया गया।

Satish Kumar
24.03.26

05. तत्पश्चात् अभियुक्त (1) नंदन दास (2) जितेन्द्र दास (3) गणेशी दास (4) अखिलेश दास (5) पंचानंद दास की विधवा भाभी अनिता देवी (6) नंदन दास (7) सत्यनारायण दास के विरूद्व अभियोग असत्य पाते हुए अभियुक्त शंभू साह उर्फ संतोष साह के विरूद्व धारा–147, 148, 149, 323, 307, 332, 333, 353, 504 भा0द0वि0 एवं धारा–27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत पूरक आरोप पत्र सं0–28 / 2022 दिनांक 01.04.2022 समर्पित किया गया।

06. पुनः अभियुक्त संतोष शर्मा के विरूद्व धारा–147, 148, 149, 323, 307, 332, 333, 353, 504 भा0द0वि0 एवं धारा–27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत आरोप पत्र सं0–62 / 2022 दिनांक 18.09.2022 समर्पित किया गया।

न्यायालयः– अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा

सत्र विचारण सं0–76/2024
(व्युत्पन्न श्रीनगर थाना कांड संख्या– 02/2024)

उपस्थित– सतीश कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा
(निर्णय की तिथिः– 24/03/2026)

07. दिनांक 13.12.2021 को न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी मधेपुरा के द्वारा अभियुक्त पंचू दास उर्फ पंचानन दास के विरूद्व धारा–147, 148, 149, 323, 307, 332, 333, 353, 504 भा0द0वि0 एवं धारा–27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान लिया गया। इसी तरह दिनांक 15.12.2021 को अभियुक्त सत्यम कुमार के विरूद्व उपरोक्त धाराओं में संज्ञान लिया गया।

दिनांक 04.01.2024 को अभियुक्त संतोष साह, संतोष शर्मा एवं सरोज यादव के विरूद्व उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत संज्ञान लिया गया।

08. दिनांक 06.02.2024 को अभियुकत पंचू दास उर्फ पंचानन दास, सत्यम कुमार, संतोष शर्मा, सरोज यादव तथा शंभू साह का वाद दौरा सुपुर्द किया गया। सभी अभियुक्तों का साथ–साथ विचारण का आदेश भी आदेश फलक से दृष्टव्य है।

09. तद्नुसार विद्वान जिला न्यायाधीश मधेपुरा के आदेश दिनांक 15.02.2024 के माध्यम से सभी पाँच अभियुक्तों का विचारण हेतु वाद अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम के न्यायालय से स्थानांतरित किया गया जहाँ से स्थानांतरण पश्चात् अभिलेख विचारण एवं निष्पादन हेतु वर्त्तमान न्यायालय को प्राप्त कराया गया।

Satish Kumar
24.03.26

10. दिनांक 19.02.2024 को सभी पाँच अभियुक्तों (1) पंचू दास उर्फ पंचानन दास, (2) संतोष शर्मा, (3) सरोज यादव (4) सत्यम कुमार एवं (5) शंभू साह के विरूद्व धारा–147, 148, 149, 323, 307, 332, 353, 504 भा0द0वि0 एवं धारा–27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत आरोप गठन किया गया। जिसे मानने से अभियुक्तों ने इनकार किया तथा विचारण का सामना करने का दावा किया।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय मधेपुरा

11. विचारण के दौरान दिनांक 27.11.2025 के आदेश के अनुसार अभियुक्त संतोष शर्मा का वाद पृथक् किया गया।

12. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सत्र वाद में कुल पाँच गवाहों की गवाही कराई गई है तथा अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरांत धारा–313 दण्ड प्र0 स0 के अंतर्गत बयान दर्ज किया गया। जिसमें अभियुक्तों ने स्वंय को निर्दोष बताया। उभय पक्षों का बहस सुनने के उपरांत अभिलेख निर्णय हेतु नियत किया गया।

न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, मधेपुरा

सत्र विचारण सं0—76/2024
(व्युत्पन्न श्रीनगर थाना कांड संख्या— 02/2024)

उपस्थित— सतीश कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, मधेपुरा
(निर्णय की तिथि:— 24/03/2026)

विनिश्चय, कारण एवं आधार

13. **विनिर्धारण के बिंदु :—** प्रस्तुत सत्रवाद में विनिर्धारण का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि क्या अभियोजन अपने वाद को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने मे सफल हुआ अथवा क्या विचारण का सामना कर रहे अभियुक्तों के विरूद्ध धारा—147, 148, 149, 323, 307, 332, 353, 504 भा0द0वि0 एवं धारा—27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत लगाये गये आरोपों को अभियोजन साबित कर पाया है?

14. उक्त प्रश्न के विनिर्धारण हेतु अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का परिशीलन व विश्लेषण आवश्यक होगा।

15. प्रस्तुत सत्र वाद में अभियोजन द्वारा कुल पाँच गवाहों की गवाही कराई गई है जिनका अभिसाक्ष्य इस प्रकार है——

16. **अभियोजन साक्षी सं0—01 उमेश मोदी**

अभियोजन साक्षी सं0—01 उमेश मोदी ने अपने मुख्य परीक्षण के पारा—01 मे कहा है कि मुझे घटना की जानकारी नहीं है। पुलिस मे मेरा बयान नहीं हुआ था।

अभियोजन के निवेदन पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण के दौरान पारा—02 मे साक्षी का कथन है कि ऐसी बात नहीं है कि मैने पुलिस में बयान दिया था और इस घटना का पूर्णतः समर्थन किया था। पारा—03 मे कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि अभियुक्त के मेल और प्रभाव मे आकर मै न्यायालय मे गलत गवाही दे रहा हूँ।

बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रति—परीक्षण के दौरान पारा—04 में साक्षी का कथन है कि आज न्यायालय मे इस घटना के संबंध मे मै अपनी गवाही पहली बार दे रहा हूँ। पारा—05 मे कहा है कि मै गवाही अपने स्वेच्छा से दे रहा हूँ।

Satish Kumar 24.03.26

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय * मधेपुरा *

17. **अभियोजन साक्षी सं0—02 उर्मिला देवी**

अभियोजन साक्षी सं0—02 उर्मिला देवी ने अपने मुख्य परीक्षण के पारा—01 मे कहा है कि मुझे घटना की जानकारी नहीं है। पुलिस मे मेरा बयान नहीं हुआ था।

अभियोजन. के निवेदन पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण के दौरान पारा—02 मे साक्षी का कथन है कि ऐसी बात नहीं है कि मैने पुलिस में बयान दिया था और इस घटना का पूर्णतः समर्थन किया था। पारा—03 मे कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि अभियुक्त के मेल और प्रभाव मे आकर मै न्यायालय मे गलत गवाही दे रहा हूँ।

बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रति—परीक्षण के दौरान पारा—04 में साक्षी का कथन है कि आज न्यायालय मे इस घटना के संबंध मे मै अपनी गवाही पहली बार दे रहा हूँ। पारा—05 मे कहा है कि मै गवाही अपने स्वेच्छा से दे रहा हूँ।

18. **अभियोजन साक्षी सं0—03 मुन्नी देवी**

अभियोजन साक्षी सं0—03 मुन्नी देवी ने अपने मुख्य परीक्षण के पारा—01 मे कहा है कि मुझे घटना की जानकारी नहीं है। पुलिस मे मेरा बयान नहीं हुआ था।

Satish Kumar
24.03.26

अभियोजन के निवेदन पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण के दौरान पारा—02 मे साक्षी का कथन है कि ऐसी बात नहीं है कि मैने पुलिस में बयान दिया था और इस घटना का पूर्णतः समर्थन किया था। पारा—03 मे कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि अभियुक्त के मेल और प्रभाव मे आकर मै न्यायालय मे गलत गवाही दे रहा हूँ।

बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रति—परीक्षण के दौरान पारा—04 में साक्षी का कथन है कि आज न्यायालय मे इस घटना के संबंध मे मै अपनी गवाही पहली बार दे रहा हूँ। पारा—05 मे कहा है कि मै गवाही अपने स्वेच्छा से दे रहा हूँ।

न्यायालयः– अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा

सत्र विचारण सं0–76/2024
(व्युत्पन्न श्रीनगर थाना कांड संख्या– 02/2024)

उपस्थित– सतीश कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा
(निर्णय की तिथिः– 24/03/2026)

19. **अभियोजन साक्षी सं0–04 रमेश राम**

अभियोजन साक्षी सं0–04 रमेश राम ने अपने मुख्य परीक्षण के पारा–01 मे कहा है कि दिनांक 06.01.2021 को मै श्रीनगर थाना मे थानाध्यक्ष के पद पर पदस्थापित था। मुझे समय करीब 14:40 बजे के करीब मोबाइल पर सूचना मिली कि लक्ष्मीपुर भगवतीपुर में पंचानंद दास वगैरह ने एक व्यक्ति को गोली मार दिया है। गोली लगने से वह व्यक्ति जख्मी पडा हुआ है, जख्मी को इलाज के लिए पूर्णिया भेजा गया है। इस बात की जानकारी होने के उपरांत वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए पुलिस पार्टी के साथ घटनास्थल पर गया। मधेपुरा सदर के पुलिस निरीक्षक मुरलीगंज थाना एवं कुमारखण्ड थाना के पुलिस पदाधिकारी भी वहां पहुचे। घटना को लेकर लोगो मे आकोश था वे लोग सड़क जाम किये हुए थे। लोगा को शांत कराया जा रहा था इसी कम में घटनास्थल से उत्तर खेदन बाबा स्थान चाप के तरफ से गोली–बारी फायरिंग किया जाने लगा तो पुलिस निरीक्षक सदर और अन्य पुलिस पदाधिकारी कर्मियो के साथ फायरिंक की दिशा मे पहुंचा तो फायर करने वाले पश्चिम दिशा की ओर भागने लगे। सभी लोग अंधेरा का फायदा उठाकर भाग गये। तभी टोर्च की रौशनी मे पंचानंद दास, जितेन्द्र दास, संतोष शर्मा, नंदन दास एवं सत्यनारायण दास को भागते हुए पहचाना। टोर्च की रौशनी मे देखा गया कि 315 बोर का दो खोखा और 7.65 एम0एम0 का छः खोखा बरामद किया गया जिसकी विधिवत जब्ती सूची बनाया गया। यह वही जब्ती सूची है जो मेरे लिखावट एवं हस्ताक्षर है जिसे पहचानता हूँ इसे प्रदर्श–P-1/P.W-04 अंकित किया जाता है। पारा–02 मे कहा है कि टोर्च की रौशनी मे पहचान किए गए अभियुक्तों मे शंभू साह भी था। गणेशी दास एवं अन्य अज्ञात भी थे। घटना स्थल से उत्तर फायर किए गए जगह खिदन बाबा के स्थान मे वहां से 315 बोर का दो खोखा और 7.65 एम. एम. का पांच खोखा बरामद किया गया था जिसे स्वतंत्र साक्षी के समक्ष जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया। यह वही जब्ती सूची है जो मेरे लिखावट और हस्ताक्षर मे है, इसे पहचानता हूँ, इसे पूर्व मे प्रदर्श–P-1/P.W-04 अंकित किया गया है। पारा–03 मे कहते हैं कि पहचान किए गए अभियुक्तो के घर पर भी जाकर हमलोगो द्वारा छापामारी किया गया। लेकिन मर्द सभी घर से फरार पाए गए। महिलाओ द्वारा पुलिस को गाली गलौज कर रही थी और सरकारी काम काज मे बाधा उत्पन्न कर रही थी। जिस आलोक मे मै थाना पहुंचकर पुलिस पर फायरिंग करने व जानलेवा हमला करने तथा सरकारी कामकाज मे बाधा उत्पन्न करने के विरूद्व अपने बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर पु. स.अ.नि. अजय कुमार को अनुसंधान का भार सौपा। ये मेरा वही स्वलिखित बयान है जो मेरे लिखावट एवं लघु हस्तक्षर मे है इसे पहचानता हूँ, और इस स्वलिखित बयान के आधार पर कांड का पृष्ठांकन मेरे लिखावट मे है, इसे पहचानता हूँ, इसे कमश प्रदर्श–P-2/P.W-04 एवं प्रदर्श–P-3/P.W-04 अंकित किया जाता है। –

Satish Kumar
24.03.26

न्यायालयः– अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा

सत्र विचारण सं0–76/2024
(व्युत्पन्न श्रीनगर थाना कांड संख्या– 02/2024)

उपस्थित– सतीश कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा
(निर्णय की तिथिः– 24/03/2026)

–मुख्य परीक्षण के पारा–04 मे साक्षी का कथन है कि आज न्यायालय मे विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत अभियक्त पंचानंद दास को पहचानता हूँ, शेष अभियुक्तो को भी देखकर पहचान लूंगा।

अभियुक्त पंचानन, संतोष शर्मा और सरोज कुमार की ओर से बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रति–परीक्षण के दौरान पारा–05 में साक्षी का कथन है कि श्रीनगर थाना मे दिसम्बर 2020 से पदस्थापित थे। घटना के संबंध मे सूचना मोबाईल से मुझे वहां के स्थानीय लोग के द्वारा दी गई थी सूचना देने वाले का नाम नही बता सकता। पारा–06 मे कहा है कि हम काईम मीटिंग से थानाध्यक्ष, कुमारखण्ड, थानाध्यक्ष मुरलीगंज पुलिस निरीक्षक सदर अंचल के साथ घटनास्थल पर सरकारी वाहन से गए। सरकारी वाहन का नं0 नही बता सकता। काईम मीटिंग से लगभग 02 बजे के आस पास घटना स्थल पर गये। घटनास्थल पर लगभग 3–3:30 बजे पहुंचे। काईम मीटिंग से घटनास्थल लगभग 38–40 किमी0 की दूरी पर है। बीच मे थाना पर फोर्स लेने के लिए रूके थे। जितना फोर्स थाना मे था उतना लिए सं0 नही बता सकता। घ टनास्थल पर पहले से भीड थी। वहां लगभग 150–200 लोग थे, गिनती नही किए थे। स्थानीय प्रतिनिधि से व बाकी पक्ष के लोगो से मेरी बातचीत हुई थी। घटना –स्थल से खेदन बाबा स्थान की दूरी 500–700 मीटर की दूरी होगी। पारा–07 मे कहा है कि घटनास्थल पर अपने दल के सभी आदमी के साथ पहुचे थे। घटनास्थल पर हमलोग चार–पांच गाडी से गए थे। किस गाडी पर कौन–कौन बैठे थे नही बता सकता। उत्तर दिशा से फायरिंग हो रहा था। उत्तर दिशा से मै 500–700 मीटर की दूरी पर हमलोग थे। हमलोग को देखकर 15–20 आदमी भाग रहे थे। उनका नाम नही बता सकते। पारा–08 मे कहा है कि अभियुक्तो को पूर्व से पहचानता था और घटना के दिन टोर्च की रौशनी मे पहचानने के बाद उनके विरूद्व प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पारा–09 मे कहा है कि अभियुक्त लोग तितर बितर होकर एक ही दिशा मे भागे। जिनकी पहचान की गई वह सब पश्चिम दिशा मे भाग रहे थे। पुलिस बल के पास कई टोर्च थे सभी जलाए हुए थे, कितने टोर्च जलाए हुए थे नही बता सकता। पारा–10 मे कहा है कि पंचानंद दास के पास मैने हथियार देखा था, लेकिन कौन सा हथियार था नही बता सकता। हथियार वो हाथ मे लिए हुए था। हथियार की लं0 नही बता सकता कि वो कितना लम्बा था। पारा–11 मे कहा है कि आज से पहले मैने अभियुक्तो का फोटो देखा है। पारा–12 मे कहा है कि ऐसी बात नही है कि पंचानंद दास का नाम मैने किसी के कहने पर इस केस मे दे दिया है।

Satish Kumar
24.03.26

न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, मधेपुरा

सत्र विचारण सं0—76/2024
(व्युत्पन्न श्रीनगर थाना कांड संख्या— 02/2024)

उपस्थित— सतीश कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, मधेपुरा
(निर्णय की तिथिः— 24/03/2026)

अभियुक्त सत्यम कुमार एवं शंभू साह की ओर से बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रति—परीक्षण के दौरान पारा—13 में साक्षी का कथन है कि इस केस का अनुसंधान मेरे द्वारा नही किया गया है। इस केस मे सत्यम कुमार का आरोप पत्र मैने समर्पित नही किया। पारा—14 मे कहा है कि आज से पहले मैने सत्यम कुमार को देखा है। कब देखा दिन तारीख याद नही है। श्रीनगर थाना मे रिमांड के समय देखा था। जिस रोज मैने सत्यम को देखा उसने क्या कपड़ा व कपड़ा रंग याद नही है। पारा—15 मे कहा है कि मैने सत्यम कुमार को कभी किसी लडकी के साथ कभी नही देखा। पारा—16 मे कहा है कि ऐसी बात नही है कि हम सभी पुलिस पदाधिकारी अभियुक्त सत्यम कुमार को दूसरे अभियुक्त को दबाव मे लेकर इनको अभियुक्त बनाकर जेल भेज दिए।

20. <u>अभियोजन साक्षी सं0—05 मोती लाल सिंह</u>

अभियोजन साक्षी सं0—05 मोती लाल सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण के पारा—01 मे कहा है कि दिनांक 06.01.2021 को मै श्रीनगर थाना मे सिपाही के पद पर पदस्थापित था। घटना 06.01.2021 की समय करीब 2:45 बजे की है। उस दिन मै थाना पर था तो थानाध्यक्ष को सूचना मिली ग्राम भगवतीपुर लक्ष्मीपुर चाप के सड़क पर गोली चली है। थाना के पदाधिकारी के साथ हमलोग घटनास्थल पर आये तो देखे कि एक आदमी को गोली लगा हुंआ था जिसको हमलोग ईलाज हेतु पुर्णिया भेज दिए। जिस व्यक्ति को गोली लगी थी उसका नाम याद नही है और कौन गोली मारा यह भी हम नही जानते है। लोगो के भीड जमा थी। सभी लोगो को हमलोग हटा रहे थे। उसके बाद मुरलीगंज थाना, कुमारखंड थाना के पुलिस और पुलिस निरीक्षक मधेपुरा, वहां आए। लगभग 600 मीटर उत्तर खेदन बाबा का मंदिर है जहां से फायर का आवाज सुनाई दिया तो उधर हमलोग दौडे जहां 5—6 व्यक्ति था। वहां से दक्षिण दिशा की ओर वो लोग भागना शुरू किया। शाम का समय था और अंधेरा हो रहा था। हमलोग ने देखा कि खेदन बाबा के मंदिर के पास दो खोखा मिला और छः खोखा दूसरे जगह पर मिला। उसके बाद हमलोगो ने बहुत छानबीन किया पर वह लोग नहीं मिला। पुलिस निरीक्षक महोदय के सूचना पर हमलोग ने पंचू दास के घर पर गये और वहा जाकर छापामारी किए परंतु वहां भी कोई आदमी नही मिला। उसके बाद हमलोग थाना आ गए। पारा—02 मे कहा है कि घटना के समय अंधेरा था। मै किसी को नहीं पहचाना।

अभियुक्त सत्यम कुमार के अतिरिक्त अन्य सभी अभियुक्तों की ओर से बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रति—परीक्षण के दौरान पारा—03 में साक्षी का कथन है कि थाना से हमलोग करीब पौने तीन बजे निकले थे। खेदन बाबा के मंदिर पर करीब 20—25 मिनट के

Satish Kumar
24.03.26

बाद पहुंचे थे। वहां पर लगभग 100 आदमी थे। पारा–04 मे कहा है कि विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से जिस व्यक्ति को दिखाया जा रहा है उनको आज से पहले कभी नहीं देखे। जो भागा उसमे से भी किसी को नही देखे। उसके बाद हमलोग गश्ती मे चले गये।

अभियुक्त सत्यम कुमार की ओर से बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रति–परीक्षण के दौरान पारा–05 में साक्षी का कथन है कि आज न्यायालय मे उपस्थित अभियुक्त को नहीं पहचानता हूँ। और इसको घटनास्थल पर भी मैने नहीं देखा था।

21. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत कुल पाँच साक्षियों में साक्षी सं0–01, 02 व 03 पक्षद्रोही घोषित किये गये हैं तथा इन्होने घटना का समर्थन नहीं किया है। साक्षी सं0–04 रमेश राम स्वंय सूचक है जिन्होने घटना का यद्यपि समर्थन किया है परंतु अपने मुख्य परीक्षण मे ही साक्षी ने कहा कि सभी लोग (अभियुक्तगण) अंधेरा का फायदा उठाकर भाग गये। अर्थात् घटना के समय अंधेरा था। मुख्य परीक्षण के पारा–03 में सूचक का कथन है कि अभियुक्तो के घर छापामारी करने पर उनके घर की महिलाएँ गाली गलौज व सरकारी कामकाज मे बाधा उत्पन्न करने लगी। (प्रस्तुत वाद मे कोई भी महिला विचारण का सामना नहीं कर रही है)। उपरोक्त तथ्यों के अलावा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि घटनास्थल जहाँ पर एक व्यक्ति को जख्मी कर गोली मारने की बात बताई गई है, उक्त जख्मी का न तो बयान दर्ज किया गया और न ही उसे साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। साक्षी सं0–05 मोतीलाल सिंह ने मुख्य परीक्षण में कहा है कि लगभग 600 मीटर उत्तर खेदन बाबा का मंदिर है जहाँ से फायर का आवाज सुनाई दिया तो उधर हमलोग दौडे जहाँ 5–6 व्यक्ति था। वहाँ से दक्षिण दिशा की ओर वो लोग भागना शुरू किया। शाम का समय था और अंधेरा हो रहा था। हमलोग ने देखा कि खेदन बाबा के मंदिर के पास दो खोखा मिला और छः खोखा दूसरे जगह पर मिला। उसके बाद हमलोगो ने बहुत छानबीन किया पर वह लोग नहीं मिला। मुख्य परीक्षण के पारा–02 मे साक्षी का कथन है कि घटना के समय अंधेरा था। मै किसी को नहीं पहचाना। इसके अलावा साक्षी ने उपस्थित अभियुक्तों को पहचानने से भी इनकार किया है।

Satish Kumar
24.03.26

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय मधेपुरा

अभियोजन साक्ष्य के विश्लेषण से स्पष्ट है कि अभियोजन निश्चितता के साथ यह साबित करने में विफल रहा है कि गोली चलाकर भागने वाले व्यक्ति अभियुक्तगण ही थे। अनुसंधानकर्ता की गवाही अभियोजन द्वारा न कराया जाना भी अभियोजन वाद को स्थापित किये जाने के विपरीत व हानिकारक है।

न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, मधेपुरा

सत्र विचारण सं0—76/2024
(व्युत्पन्न श्रीनगर थाना कांड संख्या— 02/2024)

उपस्थित— सतीश कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, मधेपुरा
(निर्णय की तिथिः— 24/03/2026)

आदेश

22. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के परिशीलन एवं विश्लेषण के पश्चात् न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अभियोजन अपने वाद को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे सावित करने मे पूर्णतः विफल रहा है। ऐसी परिस्थिति में पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त (1) पंचू दास उर्फ पंचानन दास, (2) सरोज यादव, (3) सत्यम कुमार एवं (4) शंभू साह के विरूद्व धारा—147, 148, 149, 323, 307, 332, 353, 504 भा0द0वि0 एवं धारा—27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त सत्यम कुमार की हाजिरी दी गई है जो न्यायालय में उपस्थित है। अभियुक्त पंचू दास उर्फ पंचानंद दास, सरोज यादव एवं शंभू साह को विडियो कांफ्रेंस के माध्यम से कारा से उपस्थापित किया गया। निर्णय इनके समक्ष खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया। अभियुक्त सत्यम कुमार, सरोज यादव एवं शंभू साह चूँकि पूर्व से इस वाद में जमानत पर हैं। अतः इनके जमानतदारों को जमानत के सभी दायित्वों से मुक्त किया जाता है। काराधीन अभियुक्त पंचू दास उर्फ पंचानंद दास की इस वाद में रिहाई हेतु अविलंब मुक्ति आदेश निर्गत करें। आवश्यक अनुपालन के पश्चात् अभिलेख को अभिलेखागार में रखें।

निर्णय की प्रति राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJGD) पर अपलोड करें।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखित, संशोधित एवं हस्ताक्षरित है तथा खुले न्यायालय में सुनाया गया है।

Satish Kumar
24.03.26

(सतीश कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय
मधेपुरा।
दिनांकः— 24/03/2026

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय ★ मधेपुरा ★

Satish Kumar
24.03.26

(सतीश कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय
मधेपुरा।
दिनांकः— 24/03/2026